सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के सोशल मीडिया हब को सर्वलिांस स्टेट जैसा बताया

चर्चा में क्यों?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सभी कोर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डिजिटिल संवाद पर नज़र रखने की परियोजना को निगिरानी राज्य (surveillance state) बताते हुए कड़ी टिप्पणी की गई है। न्यायालय ने इस संदर्भ में दो सप्ताह के भीतर सरकार से प्रतक्रियिा मांगी है।

प्रमुख बदिु:

- सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया के माध्यम से कयिे जाने वाले संवादों पर नज़र बनाए रखने के लयिे एक 'सोशल मीडिया कम्युनकिेशन हब' स्थापति करने का प्रस्ताव रखा है।
- यह प्रस्तावति परयिोजना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की नगिरानी करेगी और डेटा का वशि्लेषण कर सरकार को अपनी प्रतक्रियिा मुहैया कराएगी।

सोशल मीडिया कम्युनकिेशन हब के कार्य:

- यह देश भर के सभी ज़लिों से वभिन्नि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर ट्रेंडगि न्यूज़ का संग्रह कर उसका वशि्लेषण करेगी।
- यह परयिोजना सरकार को अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की प्रगतकिी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगी।
- यह नीतयिों को बनाने और उसे ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वति करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी मददगार साबति होगी।
- परयिोजना द्वारा सरकार की वभिन्नि योजनाओं का सोशल मीडिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पता लगाएगा जाएगा।
- यह परयिोजना उन अफवाहों या झूठी खबरों के प्रसार को रोकने में मदद करेगी जो प्रतकिूल परस्थितियिों का कारण बन सकती है।

मुख्य वशिषताएँ:

- एक सोशल मीडिया वशि्लेषणात्मक उपकरण
- एक नजिी डेटा सेंटर
- वशि्लेषण रपिोर्ट की तैयारी
- प्री-एंड पोस्ट स्थापना समर्थन (मानव संसाधन)
- पूर्वानुमानति वशि्लेषण
- एक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/setting-up-a-social-media-hub-will-be-like-creating-a-surveillance-state